भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2491**

**दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**एमएसएमई जेड प्रमाणन कार्यक्रम का विस्तार और संवर्धन**

2491. **श्रीमती दर्शना सिंहः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई, 2026 तक एमएसएमई जेड (शून्य दोष और शून्य प्रभाव) प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत कितने उद्यम पंजीकृत एवं प्रमाणित किए जा चुके हैं;

(ख) क्या सरकार जेड प्रमाणित इकाइयों को सरकारी खरीद एवं निर्यात में अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या जेड प्रमाणन कार्यक्रम का लाभ सभी जिलों, विशेषकर आकांक्षी एवं औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तक पहुँचाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, यदि हाँ, तो तत्तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क): एमएसएमई सतत (जेड–जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 9,83,003 एमएसएमई ने पंजीकरण कराया है तथा 7,03,585 एमएसएमई का प्रमाणन किया जा चुका है।

(ख): सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण नीति आदेश, 2012 के अंतर्गत जेड प्रमाणित एमएसई सहित सभी सूक्ष्म और लघु उद्यम अब भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में, सार्वजनिक खरीद अथवा निर्यात के क्षेत्र में जेड प्रमाणित इकाइयों के लिए किसी पृथक अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। तथापि, सरकार जेड प्रमाणन की मूल्यपरकता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। इस संबंध में, मंत्रालय ने दिनांक 18.09.2024 से जेड 2.0 का शुभारंभ किया है, जिसमें प्रमुख सुधारों के रूप में प्रमाणन लागत में 20 प्रतिशत की कमी, अधिक सुदृढ़ मूल्यांकन ढांचा तथा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं संधारणीयता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए बहु-परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणनों हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(ग): सरकार द्वारा एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम का कार्यान्वयन आकांक्षी तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों सहित पूरे देश में किया जा रहा है। स्कीम में अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई तथा पर्वतीय क्षेत्र (एनईआर), हिमालयी क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) ग्रस्त जिलों, द्वीपीय क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसएमई को प्रमाणन लागत पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।

***